



# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

क्रमांक.जेपीडी/प्र.नि/एमआईएस/प्रे. 110

जयपुर दिनांक : 04.04.2014

## कार्यालय आदेश

परिचालन व संधारण के सभी अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उनको प्रदत्त सामान्य उत्तरदायित्वो एवं समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों की पालना के अतिरिक्त निम्न कार्यों को स्वयं अपनी देख-रेख में संपन्न करावेंगे।

- 1 33 के.वी. सब-स्टेशन सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित कार्यों को चिन्हित करना, कार्य हेतु सामान की व्यवस्था करना, कार्य आदेश जारी करवाना, साप्ताहिक कार्य हेतु रोड मैप तैयार करवाना एवं कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करना।
- 2 फीडर रख-रखाव कार्यक्रम (Feeder Maintenance Programme) के अन्तर्गत आवश्यक सुधार कार्यों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित कराना, प्रत्येक उपखण्ड के 5 प्रतिशत फीडरों के सर्वेक्षण की स्वयं जांच करना, लक्षित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रोड मैप तैयार करना, सामान की व्यवस्था करना, कार्य आदेश जारी करवाना, कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करना।
- 3 ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित ब्लॉक समय में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना एवं अपने स्तर पर निरीक्षण व दैनिक फीड बैक द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक सुधार हेतु कार्यवाही करना।
- 4 सिंगल फेज व थ्री फेज के वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना हेतु उपखण्डवार तीन तकनीकी कर्मचारियों के दल का गठन करना एवं तकनीकी माप-दण्डों के अनुरूप वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना करना तथा प्रत्येक माह में स्थापित किये गये किये गये कम से कम 2 ट्रांसफार्मरों की स्थापना के कार्यों की प्रति उपखण्ड गुणवत्ता की जांच करना।
- 5 सिंगल फेज व थ्री फेज के वितरण ट्रांसफार्मरों के जलने की सूचना को प्रत्येक 33 के.वी. सब-स्टेशन, उपखण्ड, खण्ड कार्यालय के रजिस्टर में पंजीबद्ध कराना, सूचना प्राप्त होने पर 33 के.वी. सब-स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई पुस्तिका में दर्ज करवाकर, पंजीकरण संख्या सहित काउण्टर फोइल उपभोक्ता को देना सुनिश्चित करेंगे।
- 6 वितरण ट्रांसफार्मर जलने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी तुरंत प्रभाव से वितरण निगम की वैबसाईड पर उपलब्ध कम्प्लैन्ट मोनेटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करेंगे व ट्रांसफार्मर बदलने पर सूचना इन्द्राज कराना सुनिश्चित करेंगे। अधिशाषी अभियन्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि जले हुए ट्रांसफार्मर निर्धारित 72 घंटे की समयावधि में बदल दिये जायें।
- 7 सभी अधिशाषी अभियन्ता प्रति सप्ताह प्रत्येक उपखण्ड में, उपखण्ड कार्यालय, एक 33 के.वी. सब-स्टेशन, प्रत्येक कनिष्ठ अभियन्ता क्षेत्र के 11/0.4 के.वी. के दो

